

इंदिरा खेत गंगा योजना के तहत नलकूप निर्माण

प्रति,

उप संचालक कृषि,

जिला –

मैं इंदिरा खेतगंगा योजना के तहत सिंचाई प्रयोजन हेतु नलकूप खनन तथा पंप स्थापित कराकर शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान के लिये आवेदन प्रस्तुत करता हूँ। विवरण निम्नानुसार है :-

1. मैं (नाम कृषक) पिता/पति
जाति कुल रकबा ग्राम पटवारी
हल्का नंबर तहसील वि.खं.
जिला (छ.ग.) का निवासी कृषक हूँ।
2. मैं अपनी निजी कृषि भूमि जिसके विवरण निम्नानुसार है, पर नलकूप स्वयं के व्यय पर करना चाहता हूँ।

कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	ग्राम	जाति	कुल जोत का रकबा (हे. में)	खसरा नं. जिसमें नलकूप खनन कराना है	रकबा हे. में	नलकूप में सिंचित रकबा	
						खसरा नं.	रकबा
1	2	3		4	5	6	

3. मैं नलकूप निर्माण के लिये आवश्यक प्रमाण पत्र यथा नवीनतम पटवारी अभिलेख, विद्युत उपलब्धता प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत की अनुसंशा एवं जनपद पंचायत के अनुमोदन एवं निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन के साथ संलग्न है।
4. मैं नलकूप निर्माण का पूर्ण व्यय स्वयं वहन करूंगा।
5. मैं विकासखण्ड में उपलब्ध पंजीकृत ठेकेदार से नलकूप खनन कराऊंगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर कृषक

गवाह :-

1.

2.

---2---

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कृषक श्री
 पिता निवासी ग्राम तहसील
 विकासखंड जिला के नलकूप (इंदिरा खेत गंगा
 योजना) हेतु प्रेषित आवेदन पत्र की जांच कर ली है और स्थल निरीक्षण कर लिया है तथा उसके विवरण
 सही पाये हैं। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ नलकूप निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की
 जाती है।

विकासखण्ड का पंजीयन क्रमांक
 दिनांक :

1. हस्ताक्षर
 पद वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
 कार्यालय

प्रति,

अनुविभागीय कृषि अधिकारी

अनुविभागीय कृषि अधिकारी का पंजीयन
 क्रमांक दिनांक

हस्ताक्षर
 अनुविभागीय कृषि अधिकारी

प्रति,

उप संचालक कृषि
 जिला

स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र : प्रपत्र-3

1. कृषक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. ग्राम व प.ह.न. :
4. जाति/वर्ग : सा./अ.जा./अ.ज.जा., जाति
5. कृषक का पूर्ण डाक पता :
6. कृषक का कुल रकबा : हेक्टेयर
(ऋण पुस्तिका के आधार पर) लघु/सीमान्त/दीर्घ
7. नलकूप के लिये प्रस्तावित स्थल : खसरा नं. रकबा हे.
का खसरा नं. व रकबा
8. यदि अन्य कृषक से सहमति ली : सहमति देने वाला कृषक का नाम
गई हो तो उसका विवरण
खसरा नं.
रकबा हे. में
9. नलकूप से सिंचित रकबा : खसरा नं.
(कृषक का) रकबा हे. में
10. नलकूप से सिंचित रकबा : हे. में
(कृषक + सहमति)
11. प्रस्तावित स्थल से निकटतम : मीटर
नलकूप की दूरी मीटर में
12. निकटतम विद्युत पोल की दूरी : मीटर
13. कृषक का खाता जिस बैंक में हो: बैंक का नाम
उसका नाम व खाता क्रमांक खाता क्रमांक

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन कृषक के संबंध में उपरोक्त का विवरण सही है। नलकूप निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल खसरा नं. का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक को किया गया एवं प्रस्तावित स्थल से 300 मीटर की दूरी में चारों तरफ कोई दूसरा नलकूप अस्तित्व में नहीं पाया गया, फलस्वरूप यह प्रमाण पत्र आज दिनांक को जारी किया गया।

सहायक परियोजना अधिकारी,
विकासखण्ड

ग्राम पंचायत (सरपंच) की अनुसंशा

कृषक श्री पिता/पति

ग्राम प.ह.न. को इंदिरा खेत गंगा योजना के अंतर्गत अनुदान पर नलकूप निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल खसरा नं. रकबा पर नलकूप निर्माण किये जाने हेतु अनुसंशा की जाती है।

हस्ताक्षर

मुहर ग्राम पंचायत

जनपद पंचायत की कृषि समिति का अनुमोदन

इंदिरा खेत गंगा योजना के अंतर्गत अनुदान पर नलकूप निर्माण के लिये कृषक श्री पिता/पति जाति ग्राम के नलकूप निर्माण हेतु प्रकरण स्वीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन किया जाता है।

दिनांक :

हस्ताक्षर : सभापति

जनपद पंचायत मुहर

समक्ष पब्लिक नोटरी रायपुर छ.ग.

शपथ पत्र

मैं पिता/पति

जाति ग्राम प.ह.न. तहसील

विकासखण्ड का निवासी हूँ। पेशा कृषि कार्य का है। शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन पेश करता हूँ :-

1. यह कि मैं काश्तकार हूँ तथा मेरी कृषि भूमि रकबा हे., ग्राम प.ह.न. तहसील जिला रायपुर में स्थित है।
2. यह कि मैं कृषि विकास के उद्देश्य से सिचाई हेतु कृषि विभाग की अनुदान योजना के तहत नलकूप खनन कराकर उस पर सबमसिर्बल पंपसेट क्रय कर प्रतिस्थापित कराने का विचार किया है।
3. यह कि उक्त प्रयोजन हेतु कृषि विभाग से शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुदान प्रकरण का आवेदन प्रस्तुत किया हूँ।
4. यह कि मैं शपथ लेता हूँ कि मेरे सफल नलकूप पर प्रतिस्थापित किये जाने वाले सबमसिर्बल पंप व सहायक सामग्री पर को अनुदान कृषि विभाग से प्राप्त होता है तो मैं पंप व सहायक सामग्री को 5 वर्ष तक अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास विक्रय नहीं करूंगा। यदि मैं इसका उलंघन करता हूँ शासन के नियमानुसार अनुदान राशि 12.5 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करूंगा।
5. यह कि यदि धनराशि वापस नहीं की गई तो सम्पूर्ण अनुदान मय ब्याज भूराजस्व की बकाया बतौर वसूल की जा सकेगी।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर

सत्यापन :-

मैं शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ की कंडिका 1 से 5 तक में वर्णित सभी बातें सत्य व सही है। अतः आज दिनांक को अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया है।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर

नाम

प्रपत्र - 4

प्रमाण पत्र

मैं नाम कृषक आत्मज

निवासी ग्राम प.ह.नं. जिला में अवधि
दिनांक से दिनांक में नलकूप खनन पंपसेट्स फिट कराया
गया है इस हेतु व्यय स्वयं ने वहन किया। बैंक ऋण द्वारा भुगतान कराया है, जिसका विवरण
निम्नानुसार है -

1. कुल ड्रिलिंग गहराई मीटर ड्रिलिंग दर
रूपये प्रति कुल कीमत
व्यास ।
2. केसिंग पाईप मीटर केसिंग पाईप दर
रूपये मीटर ।
3. पंप का विवरण :-
पंप मेक हा.पा.
मूल्य ।

सहायक सामग्री विवरण

नाम कीमत मूल्य कुल
पंपसेट हेतु लागत रूपये मेरे नलकूप राशि
एवं पंप स्थापित राशि हेतु कुल राशि रूपये मेरे द्वारा वास्तवित
रूप से व्यय किया गया है।

हस्ताक्षर कृषक
.....